उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या–54/2021

सोहर मुण्डा वगै० बनाम् निर्मला मध्य विद्यालय, कोतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

30/10/2021

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सोहर मुण्डा, पिता–स्व0 लोधर मुण्डा वो किशुन मुण्डा, पिता–स्व0 मकुन्द मुण्डा वो शिवचरण मुण्डा, पिता स्व0 विष्णु मुण्डा सभी का निवास ग्राम–कोतो, पो0–कोतो, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ (झारखण्ड) द्वारा उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ में दायर परमिशन वाद संख्या–19/2020 सोहर मुण्डा वगै0 बनाम् निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो में दिनांक 24.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S-151 r/w-0-9, R-4 Of C.P.C. के तहत् विविध आवेदन दायर किया गया है। दायर विविध आवेदन के परिप्रेक्ष्य में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए प्रविष्टि के बिन्दु पर आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना एवं बहस के दौरान उपस्थापित कागजात/दस्तावेज का अवलोकन किया।

आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत मौजा–कोतो, थाना–पतरातू, थाना नं०–18, खाता संख्या–30, प्लॉट संख्या–389 कुल रकबा–42 डिसमिल भूमि निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो, ग्राम–कोतो, पो०–कोतो, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के नाम से हस्तान्तरित/बिक्री करने की अनुमति हेतु दायर आवेदन पर तत्कालिन उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा बिना विधिवत सुनवाई के परमिशन वाद संख्या–19/2020 सोहर मुण्डा वगै० बनाम् निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो दिनांक–24.02.2021 को वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है, जो विधि–संगत नहीं है। इन्होंने पुनः वाद की कार्रवाई सुनवाई हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि तत्कालिन उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि की अनुमति के बाबत दायर परमिशन वाद संख्या–19/2020 सोहर मुण्डा वगै0 बनाम् निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो में आवेदकगण की ओर से लगातार अनुपस्थित रहने एवं वाद के प्रति उदासीनता को देखते हुए दिनांक–24.02.2021 को वाद की कार्रवाई बन्द की गई है, जो विधि–संगत है। इनका यह भी कहना है कि उक्त पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक–11.09.2021 को U/S-151 r/w-0-9, R-4 Of C.P.C. के तहत् विविध वाद आवेदकगण के द्वारा दायर किया गया है, जो कालबाधित एवं पोषणीय नहीं है। इन्होंने दायर विविध आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

निष्कर्ष :–

बहस के दौरान प्रथम पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा दायर वाद के परिप्रेक्ष्य में रखे गये पक्ष / उपस्थापित कागजात–दस्तावेज का अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत मौजा–कोतो, थाना–पतरातू, थाना नं०–18, खाता संख्या–30, प्लॉट संख्या–389 कुल रकबा–42 डिसमिल भूमि निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो, ग्राम–कोतो, पो०–कोतो, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के नाम से हस्तान्तरित / बिक्री करने की अनुमति हेतु दायर परमिशन वाद संख्या–19 / 2020 सोहर मुण्डा वगै0 बनाम् निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो में दिनांक 24.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S-151 r/w-0-9, R-4 Of C.P.C. के तहत् आवेदकगण की ओर से पुनः सुनवाई हेतु विविध आवेदन दिनांक–11.09.2021 को न्यायालय में दायर किया गया है, जो कालबाधित है आवेदक की ओर से उल्लेखित धारा विधि–संगत एवं पोषणीय नहीं है।

2. विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए तत्कालिन उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा दायर परमिशन वाद में आवेदकगण का लगातार अनुपस्थित रहना, वाद के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। फलतः दिनांक–24.02.2021 को दायर परमिशन वाद की कार्रवाई बिना प्रभावकारी आदेश के बन्द की गई है, जो विधि–संगत है।

3. आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गये पक्ष में तथ्यात्मक / विशिष्ट कारण का अभाव है, अर्थात् दायर विविध आवेदन से सहमत होने का कोई तार्किक आधार नहीं बनता है।

आदेश :–

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए दिनांक–11.09.2021 को आवेदकगण की ओर दायर विविध आवेदन को प्रविष्टि (Admission) के बिन्दु पर **अस्वीकृत** किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

अभिलेख संचित करें।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2021.11.02 12:16:55 +05:30
Location: 192.168.43.219

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
30.10.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
30.10.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।